(2)

जिला कार्यालय समाज कल्याण, जिला कबीरधाम(छ.ग.)

Phone No. 07741-233110, Fax No. 07741-232987, E-mail dpsw.ddpkawardha@gmail.com

क्रमांक / 1586 / स.क. / 2021–22 कबीरधाम, दिनांक 19/07/2021

प्रति,

सर्व प्राचार्य,
महाविद्यालय शासकीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय कवर्धा
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :– "क्षितिज–अपार संभावनाए" अंतर्गत निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना।

संदर्भ :– 1. छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक / एफ 3–15 / 2016 / सक / 26 नया रायपुर, दिनांक 03.11.2016

2. कार्यालय कलेक्टर (समाज कल्याण) जिला कबीरधाम का पत्र क्रमांक / 1639 / स.क. / 2016 कबीरधाम, दिनांक 22.11.2016

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 05 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जाना है। योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।

इस योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक के निःशक्त व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, महाविद्यालय / पोलिटेक्निक / आई.टी.आई. में नियमित छात्र के रूप में प्रवेशित हो (शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण छात्र को पात्रता नहीं होगी) उन्हीं विद्यार्थी को लाभान्वित किया जाएगा। पांच विद्यार्थियो के समूह को भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित "ए" श्रेणी के शहर हेतु रूपये 10,000 /–, "बी" श्रेणी के शहर हेतु रूपये 7,000 /– तथा "सी" श्रेणी के शहर हेतु रूपये 5,000 /– नियमानुसार भुगतान करने का प्रवधान है। छात्रगृह योजना की पात्रता एवं शर्तें कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 1568 / स.क. / 2019–20 कबीरधाम, दिनांक 17.07.2019 के माध्यम से भेजा जा चुका है।

अतः उक्त योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें, जिससे दिव्यांगो को छात्रगृह योजना का लाभ दिलाया जा सके।

उपसंचालक
समाज कल्याण
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1587 / स.क. / 2021–22 कबीरधाम, दिनांक 19/7/2021

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क विभाग, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कवर्धा / बोड़ला / पण्डरिया / स.लोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका कवर्धा, नगर पंचायत बोड़ला / पण्डरिया / स. लोहारा / पाण्डातराई / पिपरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समाज शिक्षा संगठक, जनपद पंचायत कवर्धा / बोड़ला / पण्डरिया / स.लोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

श्री सुंदर लाल साहू आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उपसंचालक
समाज कल्याण
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय, प्राचार्य ... 90 24/08/2021